पंजीकृत

कार्यालय
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।

दिनांक 01-10- अक्टूबर, 2020

पत्रांक 316 म0स0ल0/2020-2021/लखनऊ

श्री [redacted]

जन सूचना अधिकारी/उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 1786 पी0पी0/26-45/2020 दिनांक 16-09-2020 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आपके पत्र दि0: 04/09/20 द्वारा मांगी गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या-1 व 2

क्र0 सं0	जनपद	संचालित/ अनुदानित नशा मुक्ति केन्द्र का नाम	वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि
1	लखनऊ	1-भारतीय समाज सेवा संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित सिद्धार्थ नशा मुक्ति केन्द्र, 439/109, सिद्धार्थ भवन, डा0 मंजू टंडन के सामने हरदोई रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ। 2- प्रेरणा समिति, लखनऊ द्वारा संचालित प्रेरणा नशा मुक्ति केन्द्र, लक्ष्मीविहार, वी0बी0डी0 के सामने, फैजाबाद रोड, लखनऊ	30-04-2020 27-05-2020
2	कानपुर नगर	1-जन कल्याण सेवा समिति, कानपुर नगर द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र, 28 आदर्श विहार, बाईपास रोड, पीएसी लाइन, कानपुर नगर। 2-शिफाकेयर संस्थान, ग्राम-बादेखेड़ा पो0 भटगांव, सरोजनीनगर लखनऊ, द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र, प्लाट नं0 99 फलैट-1 रतनलालनगर, कानपुर नगर।	25-05-2020 29-05-2020
3	बाराबंकी	अर्चना महिला कल्याण समिति, ग्राम-अबहीपुर पो0 भानमऊ, बाराबंकी द्वारा संचालित आनंदपथ नशा मुक्ति केन्द्र, बाल विहार कालोनी, बडेल, बाराबंकी	29-04-2020
4	सीतापुर	शक्ति साधना संस्थान, मो0 तरीनपुर निकट ईदगाह ,सीतापुर द्वारा संचालित अमन नशा मुक्ति केन्द्र, मो0 तरीनपुर निकट ईदगाह ,सीतापुर	28-05-2020
5	लखीमपुर	चौथा स्तम्भ, लोधी भवन, अम्बरपुर, बंथरा, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा संचालित मुस्कान नशा मुक्ति केन्द्र, मो0 अंदेशनगर, लखीमपुर	30-05-2020

बिन्दु संख्या-3

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड किये जाने के पश्चात संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव की हार्डकापी प्रमाणित आवेदन एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसके पश्चात नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त में से मात्र क्रमांक 2(1) पर उल्लिखित संस्था द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर निर्धारित प्रक्रियानुसार जांच कार्यवाही प्रक्रिया में है।

भवदीय

(जलज मिश्र)
जन सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय मद्यनिषेध
एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी/जनसूचना अधिकारी मुख्यालय, 808, जवाहर भवन, लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(जलज मिश्र)
जन सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय मद्यनिषेध
एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र

18/01/2021

आ0/पत्र 15/2/21

रजिस्टर्ड / सूचना का अधिकार / समयबद्ध
संख्या : 773 पी0पी0 / 26–28 / 2021

J0602

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

श्री [redacted]

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक : 15 फरवरी 2021

विषय : क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी, जलज मिश्र व स्वयंसेवी संस्थाओं की आपसी सांठगांठ के तहत अनुदान प्रस्तावें को भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक साजिशन समय से न भेजे जाने के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2020 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 के अधीन सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 19 सू0अ0 / 26–2–2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021 के साथ प्राप्त अपने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन मांगी गयी सूचना सम्बन्धी पत्र 18.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के बिन्दु–A,B,F,I,J एवं K विभाग से सम्बन्धित है। जिनकी सूचना बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है :–

1– आपके पत्र दिनांक 18.01.2021 के बिन्दु–A, K एवं I के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 2451 / 26–1–2021–स0क0–1 दिनांक 09 फरवरी 2021 के द्वारा आपके शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2020 के क्रम में श्री जलज मिश्र, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ से आख्या प्राप्त कर उसके निस्तारण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है। शासन के उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 769 पी0पी0 / 26–25 / 2021 दिनांक 15 फरवरी 2021 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या मांगी गयी है।

2– आपके पत्र दिनांक 18.01.2021 के बिन्दु–B एवं F के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपका पत्र दिनांक 18.12.2020 शासन के अपने पत्र संख्या 2451 / 26–1–2021–स0क0–1 दिनांक 09 फरवरी 2021 के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसकी प्रविष्टि पत्र प्राप्ति व प्रेषण रजिस्टर पर श्री जगजीत सिंह, आशुलिपिक द्वारा करने के उपरान्त दिनांक 10.02.2021 को उक्त पत्र श्री शोयेबुल हसन किदवाई, उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक को दिया गया श्री किदवाई के द्वारा दिनांक 11.02.2021 को श्री हरीश कुमार तिवारी, वरिष्ठ सहायक को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया, श्री हरीश कुमार तिवारी के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को श्री दिनेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी को उक्त पत्र टिप्पणी व स्वच्छालेख सहित दिया गया, श्री दिनेश कुमार के द्वारा उक्त पत्र उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 को दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया तथा उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 15.02.2021 को राज्य मद्यनिषेध अधिकारी को भेजा गया। राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को स्वच्छालेख पर हस्ताक्षर किये गये, जिसे श्री जगजीत सिंह के द्वारा पत्र संख्या चढ़ाकर दिनांक 15.02.2021 को श्री जलज मिश्र, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ को भिजवा दिया गया।

–2

3– आपके पत्र दिनांक 18.01.2021 के बिन्दु–J के सम्बन्ध में अवगत कराना जन सूचना अधिकारी, मुख्यालय, मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 का नाम डा0 राजीव श्रीवास्तव, उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 है। मद्यनिषेध विभाग में किसी अधिकारी के पास सी0यू0जी0 नम्बर नहीं है दोनों का सम्पर्क दूरभाष संख्या– 0522–2286664 है तथा विभाग की ई0मेल madyanished-up@gov.in है।

आपके द्वारा पत्रों की प्रतियां भी अपेक्षित है परन्तु प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतएव अपने पत्र दिनांक 18.01.2021 [redacted] एवं I से सम्बन्धित पत्रों की छायाप्रतियों हेतु रू0 6/– तथा बिन्दु–B एवं F से सम्बन्धित छायाप्रतियों हेतु रू0 6/– इस प्रकार कुल रू0 12/00 (रू0 बारह मात्र) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि आपको इस विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत् है :–

श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0,/प्रथम अपीलीय अधिकारी
808, जवाहर भवन, लखनऊ। दूरभाष संख्या : 0522–2286664

भवदीय

15/2/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0

संख्या : 773 (1) पी0पी0/26–28/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, समाज कल्याण अनुभाग–2, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या : 19 सू0अ0/26–1–2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021 के कम में अवगत कराना है कि आवेदक श्री के पत्र दिनांक 18.01.2021 के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित संचनाएं श्री को उपरोक्तानुसार दी जा रही है। चूँकि उक्त पत्र में आवेदक द्वारा शासन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयी है, कृपया सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

15/2/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0

15/2/2021

रजिस्टर्ड / सूचना का अधिकार / समयबद्ध
संख्या : 1090 पी0पी0 / 26–28 / 2021

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 /
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

श्री

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक : 12 मार्च 2021

विषय : क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी, जलज मिश्र व स्वयंसेवी संस्थाओं की आपसी सांठगांठ के तहत अनुदान प्रस्तावें को भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक साजिशन समय से न भेजे जाने के विरूद्ध शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2020 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 के अधीन सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 10.03.2021 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 12/– (रूपये बारह मात्र), जो इस कार्यालय के पत्र संख्या 773 पी0पी0 / 26–28 / 2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021 के क्रम में अभिलेखों की प्राप्ति हेतु प्रेषित की गयी है, के क्रम में सम्बन्धित अभिलेख निम्नानुसार प्रेषित है :–

1– इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक के बिन्दु–1 से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या 2451 / 26–1–2021–स0क0–1 दिनांक 09 फरवरी 2021 **(छायाप्रति संलग्न–1 व 2)** तथा शासन के उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 769 पी0पी0 / 26–25 / 2021 दिनांक 15 फरवरी 2021 **(छायाप्रति संलग्न–3)** की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

2– इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक के बिन्दु–2 से सम्बन्धित आपका पत्र दिनांक 18.12.2020 जो शासन के पत्र संख्या 2451 / 26–1–2021–स0क0–1 दिनांक 09 फरवरी 2021 के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसकी प्रविष्टि पत्र प्राप्ति व प्रेषण रजिस्टर पर श्री जगजीत सिंह, आशुलिपिक द्वारा करने के उपरान्त दिनांक 10.02.2021 **(छायाप्रति संलग्न–4)** को उक्त पत्र श्री शोयेबुल हसन किदवाई, उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक को दिया गया श्री किदवाई के द्वारा दिनांक 11.02.2021 **(छायाप्रति संनग्नक–1)** को श्री हरीश कुमार तिवारी, वरिष्ठ सहायक को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया, श्री हरीश कुमार तिवारी के द्वारा दिनांक 15.02.2021 **(छायाप्रति संलग्न–5)** को श्री दिनेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी को उक्त पत्र टिप्पणी व स्वच्छालेख सहित दिया गया, श्री दिनेश कुमार के द्वारा उक्त पत्र उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 को दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया तथा उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 15.02.2021 **(छायाप्रति संलग्न–5)** को राज्य मद्यनिषेध अधिकारी को भेजा गया। राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 15.02.2021 **(छायाप्रति संलग्न–5)** को स्वच्छालेख पर हस्ताक्षर किये गये, जिसे श्री जगजीत सिंह के द्वारा पत्र संख्या चढ़ाकर दिनांक 15.02.2021 **(छायाप्रति संलग्न–3)** को श्री जलज मिश्र,

–2

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ को भिजवा दिया गया, जिसे श्री बृजमोहन, प्राविधिक पर्यवेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने दिनांक 15.02.2021 को प्राप्त किया **(छायाप्रति संलग्न–6)।**

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

12/3/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0

संख्या : 1090 (1) पी0पी0/26–28/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, समाज कल्याण अनुभाग–2, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या : 19 सू0अ0/26–1–2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या 773 पी0पी0/26–28/2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021 के क्रम में प्रेषित।

12/3/21

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0

12/3/21

सं0-724 प0नि0/26
पत्र सं0 25/2021
पृ0 सं0 1
(1)

File No.26-1099/15/2021- -1-

संख्या-2451/26-1-2021-स0क0-1

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य मद्यनिषेध अधिकारी,

उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक:9 फरवरी 2021

विषयः क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी, जलज मिश्रा व स्वयंसेवी संस्थाओं की आपसी सांठगांठ के तहत अनुदान प्रस्तावों को भारत सकार की गाइडलाइंस के मुताबिक साजिशन समय से न भेजे जाने की शिकायत के संबंध में।

महोदय]

उपर्युक्त विषयक श्री [illegible] का पत्र दिनांक 18.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जलज मिश्रा क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारी लखनऊ तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की आपसी सांठगांठ के तहत अनुदान प्रस्तावों को भारत सकार की गाइडलाइंस के मुताबिक साजिशन समय से न भेजे कर वित्तीय अनियमितता व शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किये जाने की शिकायत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर श्री जलज मिश्रा, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ से आख्या प्राप्त कर उसके निस्तारण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का ~~कराने का~~ कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

File No.26-1099/15/2021- -1-

भवदीय

Digitally signed by राकेश कुमार सचान
Date:Mon Feb 08 15:13:02 IST 2021
Reason: Approved

(राकेश कुमार सचान)

अनु सचिव।